न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, सांभर लेक

पीठासीन अधिकारी : श्री प्रभुदयाल शर्मा आर0ए0एस0
वाद सं0 13/17
निर्णय दिनांकः 10.05.2018

1. कंवरीदेवी पत्नि मांगू जाति गुर्जर नि0 सरथला तह0 फुलेरा जिला जयपुर
वादी

बनाम

1. तीजादेवी पत्नि रूपाराम जाति गुर्जर नि0 सरथला तह0 फुलेरा जिला जयपुर
2. तहसीलदार तह0 फुलेरा मु0 सांभरलेक

प्रतिवादीगण

वाद बाबत घोषणा एंव स्थायी निषेधाज्ञा

निर्णय

संक्षेप में वाकयात इस प्रकार से हैं कि वादीनी व प्रतिवादी सं0 1 व अन्य सहखातेदारों की संयुक्त कब्जें काश्त व खातेदारी की आराजी खं0नं0 7 रकबा 1 विस्वा, खं0नं0 8 रकबा 5 बीघा 6 विस्वा, खं0नं0 10 रकबा 1 विस्वा, खं0नं0 11 रकबा 10 बीघा 10 विस्वा, खं0नं0 13 रकबा 7 बीघा 18 विस्वा, खं0नं0 15 रकबा 17 विस्वा, खं0नं0 17 रकबा 3 बीघा 2 विस्वा, खं0नं0 20 रकबा 2 विस्वा, खं0नं0 21 रकबा 1 बीघा 15 विस्वा किता 9 कुल रकबा 36 बीघा 7 विस्वा वाकै ग्राम सरथला तह0 फुलेरा जिला जयपुर राज0 में स्थित है जिसमें वादीनी का 1/9 हिस्सा व प्रतिवादी सं0 1 का 1/18 हिस्सा है इसी प्रकार काबिज है काश्त करते है व लगान अदा करते है। उपरोक्त आराजीयात के 1/6 हिस्सें का पहले रामदेव पुत्र मदनलाल जाति महाजन नि0 कोरसीना तह0 फुलेरा जिला जयपुर राज0 खातेदार काश्तकार था जिसने उपरोक्त आराजी के अपने 1/6 हिस्से में से 2/3 हिस्सा वादीनी को तथा 1/3 हिस्सा प्रतिवादी सं0 1 को जरिये रजिस्टर्ड बेचान पत्र दिनांक 21.09.11 को विक्रय की थी तथा बेचान पत्र सब रजिस्टार सांभर के यहा निष्पादित व पंजीबद्व करवाया था तथा अपने 1/6 हिस्से में से 2/3 हिस्सें पर वादीनी को व 1/3 हिस्सें पर प्रतिवादी सं0 1 को मौके पर कब्जा संम्भला दिया तथा उक्त बेचान पत्र में भी भौतिक कब्जा संम्भलाया जाना स्वीकार किया था इस प्रकार उपरोक्त आराजी में दिनांक 19.09.11 से वादीनी का 1/9 हिस्सा व

अधिकारी
र लेक

Scanned by CamScanner

प्रतिवादी सं0 1 का 1/18 हिस्सा है तथा उक्त हिस्सें के दोनों इसी प्रकार खातेदार काश्तकार है उक्त बेचान पत्र के आधार पर पटवारी हल्का कोरसीना को वादीनी व प्रतिवादी सं0 1 के नाम नामान्तकरण खुलवानें का आवेदन पेश किया तो सहवन व लापरवाही से राजस्व रिकोर्ड में नामान्तकरण के आधार पर वादीनी व प्रतिवादी सं0 1 का हिस्सा 1/6 दर्ज कर दिया लेकिन वादीनी का 1/9 हिस्सा व प्रतिवादी सं0 1 का 1/18 हिस्सा स्पष्ट रूप से अंकित नहीं किया जिससे उपरोक्त हिस्सा दर्ज न होने से वादीनी व प्रतिवादी सं0 1 का बराबर हिस्सा राजस्व रिकोर्ड में अंकित हो गया जबकि वादीनी का उपरोक्त आराजी में 1/9 हिस्सा व प्रतिवादी सं0 1 का उपरोक्त आराजी में 1/18 हिस्सा है तथा उक्त हिस्सा बेचान पत्र दिनांक 21.09.11 द्वारा प्राप्त हुआ है तथा इसी प्रकार राजस्व रिकोर्ड में इन्द्राज होना चाहिए। वादीनी ने प्रतिवादी सं0 1 व पटवारी हल्का कोरसीना को कई बार वादीनी व प्रतिवादी सं0 1 का हिस्सा रिकोर्ड में सही दर्ज किये जाने व वादीनी का 1/9 हिस्सा व प्रतिवादी सं0 1 का 1/18 हिस्सा रिकोर्ड में दर्ज करने का निवेदन किया लेकिन बहाने बाजी कर टालम टौल करते रहे अन्तिम बार दिनांक 09.01.17 को रिकोर्ड दुरूस्ती करने हेतु कहा तो न्यायालय में चारा जोरी करने को कहा इसलिए मान्य न्यायालय में उक्त वाद पेश करना आवश्यक हुआ।

उक्त वाद पेश होने पर दावा दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रतिवादीगण को तलब किया गया। प्रतिवादी सं0 2 की ओर से जवाब पेश किया गया जिसमें अंकित किया गया कि कंवरी पत्नि मांगू हि0 1/9 व तीजादेवी पत्नि रूपाराम हि0 1/8 दर्ज किया जाना उचित है। पत्रावली राजस्व लोक अदालत केम्प न्याय आपके द्वार 2018 अटल सेवा केन्द्र कोरसीना मे पेश हुयी। वकील वादी दस्तावेज सूची के संलग्न दस्तावेज पेश किये जो शामिल पत्रावली किये गये।

वकील वादी ने अपने वाद के समर्थन में प्रमाणित प्रति जमाबन्दी ग्राम सरथला संवत् 2071 से 2074, फोटो कॉपी नकल बेचान पत्र दिनांक 21.09.11 पेश की है।

वकील वादी ने वाद डिक्री किये जाने का निवेदन किया जिस पर पत्रावली व प्रतिवादी सं0 2 के जवाब का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया अवलोकन करने के बाद वादी का वाद अन्तिम डिक्री किया जाना न्यायोचित समझता हूँ।

अधिकारी
र लोक

Scanned by CamScanner

क्रियात्मक आदेश

अतः वादी का वाद बाबत घोषणा राजस्व लोक अदालत की भावना से इस आशय की डिक्री फरमायी जाती है कि आराजी खं0नं0 7 रकबा 1 विस्वा, खं0नं0 8 रकबा 5 बीघा 6 विस्वा, खं0नं0 10 रकबा 1 विस्वा, खं0नं0 11 रकबा 10 बीघा 10 विस्वा, खं0नं0 13 रकबा 7 बीघा 18 विस्वा, खं0नं0 15 रकबा 17 विस्वा, खं0नं0 17 रकबा 3 बीघा 2 विस्वा, खं0नं0 20 रकबा 2 विस्वा, खं0नं0 21 रकबा 1 बीघा 15 विस्वा किता 9 कुल रकबा 36 बीघा 7 विस्वा वाकै ग्राम सरथला तह0 फुलेरा जिला जयपुर राज0 में दर्ज 1/9 हिस्सें का वादी व 1/18 हिस्सें का प्रतिवादी सं0 1 को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है तथा राजस्व रिकोर्ड में अमल दरामद हेतु तहसीलदार फुलेरा को लिखा जावें। निर्णय अनुसार डिक्री पर्चा तैयार कर शामिल किया जावें। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो दर्ज नम्बर से कम हो।

निर्णय आज दिनांक 10.05.2018 को खुले राजस्व लोक अदालत केम्प कोरसीना मे टंकण कराया जाकर सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
सांभर लेक

अन्तिम डिक्री मुकदमा
(आर्डर 20 रूल 6-7 जाप्ता दीवानी)

आज अदालत उपखण्ड अधिकारी सांभर लेक मुकाम सांभर लेक

बइजलास श्री प्रभुदयाल शर्मा, आर०ए०एस०

कंवरीदेवी बनाम तीजादेवी वगैरा
दावा बाबत घोषणा व स्थायी निषेधाज्ञा
मुकदमा नंबर 13/17

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू श्री शिवराजसिंह व हाजरी .... मिनजानिब मुद्दई रूबरू पक्षकारान मिनजानिब मुद्दायलह पेश होकर हुक्म दिया जाता है कि वादी का वाद बाबत घोषणा राजस्व लोक अदालत की भावना से इस आशय की डिक्री फरमायी जाती है कि आराजी ख०नं० 7 रकबा 1 बिस्वा, ख०नं० 8 रकबा 5 बीघा 6 बिस्वा, ख०नं० 10 रकबा 1 बिस्वा, ख०नं० 11 रकबा 10 बीघा 10 बिस्वा, ख०नं० 13 रकबा 7 बीघा 18 बिस्वा, ख०नं० 15 रकबा 17 बिस्वा, ख०नं० 17 रकबा 3 बीघा 2 बिस्वा, ख०नं० 20 रकबा 2 बिस्वा, ख०नं० 21 रकबा 1 बीघा 15 बिस्वा किता 9 कुल रकबा 38 बीघा 7 बिस्वा वाकै ग्राम सरधला तह० फुलेरा जिला जयपुर राज० में दर्ज 1/9 हिस्सें का वादी व 1/18 हिस्सें का प्रतिवादी सं० 1 को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। ....निज .... मुबलिग.. बाबत........ .... खर्चा इस मुकदमे के मय सूद बशरह.. फीसदी सालाना आज की तारीख से तारीख अदायगी तक.............................. का अदा करे।

बसब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख 10 माह 05 सन् 2018 को जारी कीं गई।

दस्तखत.......(हस्ताक्षर).......
उप खण्ड अधिकारी
सांभर लेक

मुहर
ओहदा

मुद्दई	रूपये	पैसे	मुद्दायलह	रूपये	पैसे
स्टाम्प अर्जी दावा			स्टाम्प अर्जी दावा		
स्टाम्प वकालतनामा			स्टाम्प अर्जी		
स्टाम्प वजह सबूत			महन्ताना वकील		
महन्ताना वकील			खर्चा गवाहान		
खर्चा गवाहान			फीस कमीश्नर		
फीस कमीश्नर			बबत् इजराय हुक्मनामा		
मुतफरिक			मुतफरिक		
मीजान			मीजान		

नोट :– इस खर्चा के फार्म पर कुल खर्चा हर दो हरीकेत का चाहे डिगरी के जरिये दिखाया गया हो या नही दर्ज करना चाहिए।

Scanned by CamScanner